


(4/10/24)

05.08.2024:—पत्रावली पेशी मे ली गई। उभयपक्ष उपस्थित। वादी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली एव प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि प्रतिवादी अधिवक्ता श्री भागीरथ द्वारा no objection किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र पर no objection किया जाने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। बाद पत्र मे लाल स्याहि से दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते है। उभयपक्ष के निवदेन पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पत्रावली मे अधिवक्ता की बहस को मध्यनजर रखते हुए। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाये जाने के उपरान्त शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय मे डिक्री जारी कर तहसीलदार हनुमानगढ़ को पत्र जारी कर पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

वादी अधिवक्ता
प्रतिवादी अधिवक्ता
न्यायालय


तहसीलदार
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

